

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कृष्णदेव मिश्रा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.18967

03 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या किसी सरकारी कर्मचारी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने के मात्र आधार पर सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) योजना के अंतर्गत लाभ देने से इनकार किया जा सकता है, जबकि कर्मचारी ऐसे पद पर है, जिसमें पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है और इसलिए पदोन्नति के कोई निर्धारित नियम या पात्रता मानदंड नहीं हैं। (कंडिका 1, 2, 3).

हेडनोट्स

उच्च न्यायालय ने माना कि एसीपी लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता कर्मचारी के पद से पदोन्नति के अवसर की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि कोई पदोन्नति पद मौजूद नहीं है, तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित कोई निर्धारित पदोन्नति नियम या पात्रता मानदंड नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में इस आधार पर एसीपी देने से इनकार करना गलत है। (अनुच्छेद 2, एलपीए 372/2019, अनुच्छेद 5, 7 का हवाला देते हुए),

न्यायालय ने निर्णय दिया कि एसीपी योजना पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली निष्क्रियता को दूर करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत "नियमित पदोन्नति" के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने की शर्त केवल तभी लागू होती है

जब उस विशिष्ट पद के लिए ऐसी पदोन्नति और उससे संबंधित नियम वास्तव में मौजूद हों।
(कंडिका 2, एलपीए 372/2019, कंडिका 5 का हवाला देते हुए),

यह स्पष्ट किया गया कि उदय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2017) में स्थापित मिसाल उन कर्मचारियों पर भी लागू होती है जिनके पास पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है, और इसे गोरख नाथ चौधरी बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों से अलग किया गया जहाँ पदोन्नति के पद मौजूद थे और इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता वैध थी। (अनुच्छेद 2, एलपीए 372/2019, अनुच्छेद 5, 7 का हवाला देते हुए)

न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्री कृष्ण सिंह एवं अन्य (एलपीए सं. 372/2019, दिनांक 25.04.2022) (अनुच्छेद 2); उदय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2017(3) पी.एल.जे.आर. 824 (अनुच्छेद 2); गोरख नाथ चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूजेसी सं.11713/2010, दिनांक 27.09.2012)- (अनुच्छेद 2, एलपीए 372/2019, अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए); शिव चंद गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (एलपीए सं. 1138/2014, दिनांक 20.09.2017)

अधिनियमों की सूची

यह मामला सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) योजना की व्याख्या से संबंधित है, जो ठहराव से राहत दिलाने वाली एक सरकारी नीति है। इसमें किसी विशिष्ट अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया है।

मुख्य शब्दों की सूची

सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी); विभागीय परीक्षा; पदोन्नति मार्ग; ठहराव; पात्रता मानदंड; मौसमी कर्मचारी।

प्रकरण से उत्पन्न

याचिकाकर्ता, जो एक मौसमी क्लर्क है, को केवल लेखा/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने के आधार पर द्वितीय और तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देने से मना कर दिया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ ओ की ओर से:- श्री राम प्रवेश कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/ प्रतिवादियों की ओर से:- श्री पी.के. वर्मा, एएजी 3; श्री सरोज कुमार शर्मा, एएजी 3 के एसी।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.18967

=====

कृष्णदेव मिश्रा, पिता-स्वर्गीय सुखदेव मिश्रा, निवासी, गाँव-मिश्रा बीघा, थाना-अतरी,
जिला-गया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, मार्ग प्रभाग, शेखपुरा।

... .. उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राम प्रवेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी 3

: श्री सरोज कु. शर्मा, एसी से एएजी 3

=====

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति disposed off श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख:03-08-2023

1. वर्तमान याचिका दायर की गई है जिसमें निम्नलिखित राहत कि माँग की गई है:-

“(i) याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया के साथ द्वितीय और तृतीय ए. सी. पी. के लाभ प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी करने और अधिकारियों को द्वितीय और तृतीय ए. सी. पी. लाभ प्रदान करने के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित करने और इसके बकाया का भुगतान करने का निर्देश देता है।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं की लेखा/विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी योजना के लाभों के अनुदान के लिए एक बाधा नहीं हो सकता है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की विद्वान खंड पीठ द्वारा 2019 के एल. पी. ए. सं.372 (बिहार राज्य और अन्य बनाम श्री कृष्ण सिंह और अन्य) दिनांक 25.04.2022 में पारित एक निर्णय का उल्लेख किये है।

कंडिका सं. 2 से 7 तक, जिनका पुनः प्रस्तुति नीचे किया गया है:-

“2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रिट याचिकाकर्ता को कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, कैमूर, भभुआ द्वारा दिनांकित 22.02.2011 पत्र के माध्यम से विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण आश्वस्त कैरियर प्रगति (“ए.सी.पी” के रूप में संदर्भित) के लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा 2013 के सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 19307 वाली उपरोक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.12.2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा इस विषय पर अधिकारियों को संदर्भित किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि रिट याचिकाकर्ता को ए. सी. पी. की मंजूरी के

लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, उनका मामला उदय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2017 (3) पी. एल. जे. आर. 824 में सूचित मामले में दिए गए इस न्यायालय के एकल खंड पीठ के फैसले के दायरे में आता है।

3. इस मामले में 2013 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.19307 में पारित दिनांकित 20.12.2017 के आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। 2019 का पटना उच्च न्यायालय एल. पी. ए. सं.372 दिनांक 25-04-2022 "3. याचिकाकर्ता ए.सी.पी. की गैर-मंजूरी से व्यथित है जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में उनके कुल कार्य दिवसों 1719 पर विचार न करने के संबंध में, अधिकारियों ने इसे केवल 431 दिनों तक सीमित कर दिया है क्योंकि विभाग में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किये कि एसीपी के संबंध में, उत्तरदाताओं का रुख पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया गया था कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना केवल पदोन्नति की शर्तों के अनुसार आवश्यक है जहां पदोन्नति का पद मौजूद है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ए. सी. पी. नियम केवल उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो अन्यथा नियमित पदोन्नति के लिए पात्र है और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्तों को भी पूरा करता है, यदि पदोन्नति देने के लिए ऐसी शर्त मौजूद है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किये कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को अस्थायी क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और उस पद से कोई पदोन्नति का अवसर उपलब्ध नहीं है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि एक बार पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए किसी भी आवश्यकता या पात्रता मानदंड की कोई शर्त नहीं हो सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किये कि उदय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में एक खंड पीठ द्वारा इस मुद्दे को अंततः सुलझा लिया गया है। जिसे 2017 (3) पी. एल. जे. आर. 824 के रूप में सूचित किया जिसमें इसे 2019 का पटना उच्च न्यायालय एल. पी. ए. सं.372 दिनांक 25-04-2022 माना गया है। यदि कोई पद बिना किसी पदोन्नति के है, तो किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में 1719 दिनों से काम करने का पर्याप्त सबूत दिया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण, जो अपने स्वयं के रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ को अवैध रूप से अस्वीकार किया जा रहा है।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उदय शंकर प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में पारित आदेश ने गोरखनाथ चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य 2010 के सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 11713 दिनांक 27.09.2012 के मामले में पहले के खंड पीठ के फैसले को ध्यान में नहीं रखा है। जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंड जिसमें ए. सी. पी. ,विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है का लाभ देने के लिए भी लागू होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उदय शंकर प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में, गोरखनाथ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर ध्यान दिए बिना दिया गया फैसला असंवेदनशील है।

अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए दिनों की संख्या के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अनुसार इस पर विधिवत विचार किया गया है।

5. मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता 2019 के पटना उच्च न्यायालय एल. पी. ए. सं.372 दिनांक 25-04-2022 एसीपी का अनुदान पर विचार करने का हकदार है। ए. सी. पी. नियमों में प्रावधान है कि सभी पात्रता मानदंड, जो अन्यथा पदोन्नति के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, का पालन करना होगा और आगे, यदि नियमित पदोन्नति के लिए, किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है, तो वह भी ए. सी. पी. के अनुदान के लिए एक आवश्यक होगी। यह योजना स्वयं रिक्रियों की कमी या पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव पर विचार कर रही है। वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अस्थायी क्लर्क के पद से कोई पदोन्नति पद नहीं है और इस प्रकार, उस हद तक, याचिकाकर्ता को आगे कोई पदोन्नति मौजूदा योजना में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, ए. सी. पी. नियमों के तहत आवश्यकता इस हद तक संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता के मामले में, योजना पदोन्नति के अवसर की कमी के लिए लागू होगी। ए.सी.पी. के अनुदान के लिए दूसरे पहलू पर आते हुए, जो नियमित पदोन्नति के अनुदान के लिए प्रदान किए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति से संबंधित है, यह इस कारण से एक व्यापक शब्द नहीं है कि केवल जब कोई पदोन्नति पद उपलब्ध होगा, तो इस तरह की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड तय करने का सवाल उठेगा। वर्तमान

मामले में, कोई पदोन्नति पद उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस तरह की पदोन्नति के लिए कोई नियम या पात्रता मानदंड निर्धारित होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा, ए.सी.पी. नियम स्वयं इस बात पर विचार करते हैं कि यदि पदोन्नति नियमों में, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, तो वही 2019 का पटना उच्च न्यायालय एल. पी. ए. सं. 372 दिनांक 25-04-2022 में ए. सी. पी. का लाभ देते समय भी होगा।

वर्तमान मामले में, जब कोई पदोन्नति पद उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार मामले में कोई पदोन्नति नियम नहीं हैं, तो जाहिर है कि किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कोई पर्ची या पात्रता नहीं हो सकती है। इस प्रकार, उस संदर्भ में, याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. के अनुदान के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं थी। उदय शंकर प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के आदेश से न्यायालय अपने विचार में मजबूत होता है। जहां तक राज्य के विद्वान वकील का रुख है कि उन्होंने गोरखनाथ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में पूर्व खंड पीठ के फैसले पर विचार नहीं किया है, न्यायालय केवल इस तथ्य पर ध्यान देगा कि यह एक अलग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत पारित किया गया था। गोरखनाथ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में, वह एक लोअर डिवीजन क्लर्क थे, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उनके लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध थे और उस पृष्ठभूमि में, अदालत ने कहा था कि नियमित पदोन्नति के अनुदान के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था, ए.सी.पी. के अनुदान से पहले विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना उनमें से एक था।

वर्तमान मामले में और उदय शंकर प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में, व्यक्ति

के पास कोई पदोन्नति का अवसर नहीं था और उस पृष्ठभूमि में 2019 के पटना उच्च न्यायालय एल. पी. ए. सं.372 दिनांक-25-04-2022, यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पदोन्नति का अवसर नहीं होने के कारण, किसी भी पात्रता के तहत कोई पदोन्नति नियम होने का सवाल है। किसी भी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करना ए. सी. पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं हो सकती है। ऐसा दृष्टिकोण शिओ चंद गुसा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में 2014 के एल. पी. ए.सं.1138 में एक खंड पीठ के दिनांक 20.09.2017 के बाद के फैसले में दोहराया गया है।

6. तदनुसार, न्यायालय याचिकाकर्ता को योजना के तहत ए.सी.पी के अनुदान के लिए विचार करने का हकदार मानता है।उत्तरदाता सं.3, 4 और 5 द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर ऐसा ही किया जाएगा।

7. याचिकाकर्ता ने अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने का दावा करने वाले दिनों की संख्या की गिनती के मुद्दे पर आते हुए, वह प्रत्यर्थियों 3, 4 और 5 के समक्ष आज से चार सप्ताह के भीतर अपने तर्क के समर्थन में अपने पास उपलब्ध सभी सहायक दस्तावेजों/सामग्रियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।ऐसा किए जाने पर, अधिकारी मामले को देखेंगे और आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ इसका सत्यापन करेंगे।यदि याचिकाकर्ता का तर्क सही पाया जाता है, तो आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे और उसके बाद दो महीने के भीतर उसे लाभ प्रदान किया जाएगा।

3. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में, मैं वर्तमान रिट

याचिका का निपटारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को निर्देश देते हुए करना उचित समझता हूं। वे याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें ताकि लेखा/विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के मुद्दे से बाधित हुए बिना, ए. सी. पी./ एम. ए. सी.पी का लाभ दिया जाय जैसा कि **श्री कृष्ण सिंह (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा निर्णय किया गया है और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया जाए।

4. उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।